GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

VINOD KUMAR VERMA
S/o HARI LAL VERMA
VPO- HARASOS, DISTT.- VARANASI (UP) - 221302
ROLL NO. 6085

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–होडल, जिला पलवल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, पलवल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**
11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।

13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**

14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।

15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।

16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**

17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, पलवल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–होडल, जिला पलवल।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

AMIT KUMAR
S/o PRAHLAD SINGH
C/o. RAJENDRA SINGH,
H.NO. 1065, TEACHER COLONY, MUZAFFAR NAGAR, UP - 251001
ROLL NO. 6249

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः — **समावेशित शिक्षा परियोजना—माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड—कलानौर, जिला रोहतक** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:—

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/—रू0 अथवा 15000/— रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, रोहतक से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः प्लॉट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला—134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, रोहतक।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–कलानौर, जिला रोहतक।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

MUKESH KUMAR
S/o SHYODAT
VPO - MIRZEWALA,
DISTT & TEH - SRI GANGANAGAR,
RAJASTHAN-335038
ROLL NO. 6199

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–भट्टू कलां, जिला फतेहाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–भट्टू कलां, जिला फतेहाबाद ।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

MOHD. SAYYAD ANSARI
S/o MIRO DEEN
VILL.-SAIDPURA, PO & TEH.-DERA BASSI
DISTT.- MOHALI (PB) -140507
ROLL NO. 6045

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–रतिया, जिला फतेहाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**
11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर

जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।

13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**

14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।

15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।

16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**

17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–रतिया, जिला फतेहाबाद ।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

RAKSHA KUMARI
D/o BRAHAM DASS
VPO- NABAHI, TEH.- SARKA GHAT,
DISTT. MANDI - 175024
ROLL NO. 6121

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान. पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–टोहाना, जिला फतेहाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**
11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर

जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।

13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**

14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।

15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।

16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**

17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड– टोहाना, जिला फतेहाबाद ।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

RAJENDER KUMAR
S/o BALWANT RAM
#63, NEW SHARDA NAGAR, RATTANGARH ROAD,
NEAR MANGLA ATTA CHAKKI, AMBALA CITY - 134003
ROLL NO. 6083

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–सीवन, जिला कैथल** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, कैथल से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, कैथल।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–सीवन, जिला कैथल।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

PANKAJ KUMAR MISHRA
S/o RAJ KARAN MISHRA
C/o. RAJESH KUMAR TIWARI,
VILL.- BAIJU TIWARI KA PURWA,
POST- GUPTAR GANJ DISTT.- SULTANPUR (UP) -228151
ROLL NO. 6069

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–गोहाना, जिला सोनीपत** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, सोनीपत से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)2560246 Fax: 91(0172)2560253
कार्यालयः पॅलाट न0 1बी, शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91(0172)2560246 फैक्सः 91(0172)2560253

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, सोनीपत।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–गोहाना, जिला सोनीपत।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SAVITA KUMARI
W/o PAWAN KUMAR,
S/o LATE RAM KUMAR NAMABARDAR (NAI)
V.P.O - BIRDHANA, TEH - BERI
DISTT - JHAJJAR
HARYANA-124122
ROLL NO. 6197

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः — **समावेशित शिक्षा परियोजना—माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड—भूना, जिला फतेहाबाद** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:—

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/—रू0 अथवा 15000/— रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यों व उत्तरदायित्वों की निर्वहन सूची **शिक्षा**

विभाग की **website:- schooleducationharyana.gov.in** पर उपलब्ध है।

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, फतेहाबाद।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–भूना, जिला फतेहाबाद।
8. बिल लिपिक, **IED-SS Cell, Panchkula** को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Director School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

सेवा में,

SURESH KUMAR CHOUDHARY
S/o TOTA RAM
VPO-BASAI, TEH.-BEHROR,
DISTT.- ALWAR (RAJ) - 301709
ROLL NO. 6029

आदेश कमांक KW 1/4-2012 IED-SS (1)
दिनांक, पंचकूला 07.08.2014

विषयः – **समावेशित शिक्षा परियोजना–माध्यमिक स्तर (IED-SS) के अन्तर्गत संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई के पद पर नियुक्ति प्रदान करने बारे।**

उपरोक्त विषय पर, दिनांक **21.07.2014** को शिक्षा निदेशालय, हरियाणा, पंचकूला के द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के फलस्वरुप आपका नाम अन्तिम चयन सूचि में स्थान पाने में सफल हुआ है। तदनुसार आपको **संसाधन/विशेष अध्यापक श्रेणी वी0आई** के पद पर एक वर्ष के अनुबंध आधार पर **रा0व0मा0वि0, खण्ड–मुंडलाना, जिला सोनीपत** में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार कार्य प्रस्ताव प्रदान किया जाता है:–

1. **अनुबन्ध आधार पर कार्य अवधि के दौरान आपको 18,000/–रू0 अथवा 15000/– रू0 प्रतिमाह समेकित पारिश्रमिक दिनांक 08.05.2013 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार देय होगा।**
2. यदि कर्मचारी किसी कारणवश यह कार्य प्रस्ताव छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक माह का अग्रिम नोटिस देना होगा या एक माह का पारिश्रमिक निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, में जमा करवाना होगा।
3. यदि आपका कार्य किसी भी समय असन्तोषजनक पाया जाता है या आपको किसी असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाया जाता है तो आपको इस कार्य प्रस्ताव से तुरन्त प्रभाव से बिना किसी नोटिस के निदेशक, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकूला, द्वारा कार्यभार से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. आपको भारतीय संविधान के अन्तर्गत **'भारतीय संविधान की पालना संबंधी' एक शपथ पत्र** संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले देना होगा।
5. आपको अपनी अंतिम शैक्षक सस्थान अथवा जहॉ आप इससे पहले कार्यरत थे उन अधिकरियो से अपना चरित्र व पहचान प्रमाण पत्र संबधित प्रधनाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।
6. आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जन्मतिथि तथा जाति प्रमाण पत्र आदि की सत्यापित प्रतियां कार्य पर उपस्थित होने से पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होंगी। यदि आपके प्रमाण पत्र की प्रतियों में किसी तरह की त्रुटियां या अनियमिततायें पाई गई तो आपको तुरंत प्रभाव से इस कार्य प्रस्ताव व उत्तरदायित्वो से मुक्त कर दिया जायेगा तथा आपके विरूद्व विहित कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।
7. **आपको जिला सिविल सर्जन, सोनीपत से मेडिकल प्रमाण पत्र इस कार्य प्रस्ताव पर संबधित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक को कार्यग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा।**
8. **आपको इस कार्य प्रस्ताव पर उपस्थित होने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।**
9. आपको अन्य शिक्षको की तरह केवल आकस्मिक अवकाश देय रहेगा। परन्तु कार्यालय/विद्यालय में आवश्यक कार्य की स्थिति में आपको कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है ।
10. आपको विभाग के द्वारा प्रदान किये/सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों व उत्तरदायित्वो का निर्वहन समयबद्व, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से करने होगे। इन कार्यो व उत्तरदायित्वों' की निर्वहन सूची **शिक्षा विभाग की website:- schooleducationharyana.gov.in पर उपलब्ध है।**

11. आपको निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला द्वारा उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
12. पुरूष कर्मचारियो को प्रत्येक वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश तथा महिला कर्मचारियो को 20 आकस्मिक अवकाश देय होंगें। आकस्मिक अवकाश आगामी वर्ष में स्थानांतरित नहीं होंगे।
13. **आपको देय आकस्मिक अवकाश अपने संबधित/कार्यालय से अग्रिम आवेदन देकर स्वीकृत करवाना होगा तथा एक सप्ताह में तीन या तीन से अधिक आकस्मिक अवकाश/बिना वेतन अवकाश/मातृत्व अवकाश स्वीकृत करवाने के लिये आपको अपना आवेदन अग्रिम रुप से अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य से स्वीकृत करवाकर इसकी एक प्रति शिक्षा निदेशालय, पंचकूला को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।**
14. आपको कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों में पारंगत व दक्ष होना होगा।
15. आप अपने कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह अपने सम्बन्धित प्रधानाचार्य कम खण्ड संसाधन संयोजक के माध्यम से संबधित जिला शिक्षा अधिकारी/निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला को प्रेषित करेगे।
16. **यह पद संस्थागत काडर का होने के कारण इस पद से स्थानान्तरित नहीं होगा।**
17. **यह कार्य प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रायोजित समावेशित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत मानव ससांधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त ग्रांट से पारिश्रमिक प्रबंध के अनुसार है। अतः राज्य सरकार भविष्य में उक्त योजना की समाप्ति या संशोधन की स्थिति में किसी भी प्रकार के वित्तीय, कार्मिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहेगी।**

अतः यदि आपको उपरोक्त वर्णित सभी शर्तें स्वीकार हैं तो आप उपरोक्त विद्यालय में दिनांक 08.08.2014 से 20.08.2014 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस पद पर उपरोक्त समय अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो आपका कार्यप्रस्ताव रद्द कर दिया जायेगा और इसके लिए आपको पुनः अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

विवेक अत्रेय
निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

पृष्ठांकन कमांक–सम

दिनांक पंचकुला 07.08.2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार, चण्ड़ीगढ़।
2. निजि सचिव/महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकूला।
3. प्रधान महालेखाकार, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
4. जिला सिविल सर्जन, सोनीपत।
5. जिला खजाना अधिकारी, पंचकूला।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत।
7. प्रधानाचार्य–कम–खण्ड संसाधन संयोजक, रा0व0मा0वि0, खण्ड–मुंडलाना, जिला सोनीपत।
8. बिल लिपिक, IED-SS Cell, Panchkula को अभ्यार्थी की व्यक्तिगत पंजिका तैयार करने हेतु प्रेषित है।
9. आई.टी.सेल, (मुख्यालय स्तर)।

संयोजक (IED-SS)
कृतेः महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।